रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 196] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 1972/श्रावण 4, 1894

No. 196] NEW DELHI, WEDNEDAY, JULY 26, 1972/SRAVANA 4, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July 1972

G.S.R. 361(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Inter-State Corporations Act, 1957 (38 of 1957), the Central Government hereby specifies in the Schedule to the said Act, the following Act, namely:—

"45. The Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925)".

[No. F. 17/10/72-SR.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1972

सा० का० नि० 361 (अ)—अन्तर्राज्य निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 38) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित परिणाम विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

"45. सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925

(1925 का पंजाब अधिनियम सं० 8)"।

[सं० फा० 17/10/72—एस० आर०]

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972